कार्यालय, प्राचार्य शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
E-mail:- heggpgcujj@mp.gov.in, principalgdcujjain@yahoo.co.in - Phone No.:0734-2530866

क्रमांक 811/2021 दिनांक : 26.08.2021

प्रति,

आयुक्त, (कम्प्यूटर सेल)
उच्च शिक्षा म.प्र. शासन
सतपुडा भवन, भोपाल (म.प्र.)

विषय – अतिथि विद्वानों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण को वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति द्वारा संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के अतिथि विद्वान के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

संलग्न : विज्ञापन

प्राचार्य एवं सचिव
जनभागीदारी समिति
शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उज्जैन

Nikhil Sir. JBS

कार्यालय, प्राचार्य एवं सचिव जनभागीदारी समिति
शासकीय कन्या स्नातकोत्तर (उत्कृष्ट) महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
E-mail: heggpgcujj@mp.gov.in, principalgdcujjain@yahoo.co.in - Phone No.:- 0734-2530866

क्रमांक 811 /2021 दिनांक : 26.08.2021

विज्ञप्ति

महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति द्वारा संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों हेतु अतिथि विद्वानों के लिये नितांत अस्थाई रूप से उम्मीदवारों से आवेदन सत्र 2021–22 हेतु आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	रिक्तयों की संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	मानदेय
01	एम.एससी. रसायन शास्त्र	01	एम.एससी. रसायन शास्त्र	रू. 15,000/– प्रति माह
02	एम.एससी. गणित	01	एम.एससी. गणित	
03	एम.एससी. कम्प्यूटर साईंस	01	एम.एससी. कम्प्यूटर साईंस	

1. स्ववित्तीय योजना अंतर्गत अतिथि विद्वानों का चयन मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा मंत्रालय, भोपाल के नियमानुसार किया जाएगा।
2. शैक्षणिक योग्यता यू.जी.सी. के निर्धारित शैक्षणिक मापदण्ड के अनुसार स्नातकोत्तर में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अनिवार्य है।
3. अतिथि विद्वान को हिन्दी माध्यम के साथ–साथ अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन कार्य करना होगा। उन्हें किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नही होगी।
4. उपरोक्त पद महाविद्यालय की स्थापना एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अन्तर्गत नहीं माने जाएँगें।
5. समस्त पद पूर्णतः अस्थाई होकर बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किये जा सकते हैं। कार्य असंतोषजनक होने पर बिना किसी सूचना के नियुक्ति को निरस्त किया जा सकता है।
6. पदों की संख्या में परिवर्तन या विज्ञप्ति को आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य/सचिव जनभागीदारी समिति को रहेगा।
7. यदि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अतिथि विद्वान आमंत्रण के लिए दिशा–निर्देश/नियम जारी किये जाते है तो ये समस्त नियुक्तियां उनके अन्तर्गत होगी ।

आवश्यक अर्हताएं प्राप्त उम्मीदवार **विज्ञप्ति प्रकाशन के 10 दिवस के अंदर** अपना आवेदन समस्त प्रमाण पत्रों की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतियां, पता एवं मोबाइल नम्बर के साथ कार्यालयीन समय में डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा करा सकते हैं। **आवेदन के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से विषय का उल्लेख करें।**

26/8/21

प्राचार्य एवं सचिव
जनभागीदारी समिति
शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
उज्जैन (म.प्र.)

Nikhil Sir. JBS